

No. WII/RTI/CPIO/2019-20 (Qtr-IV)

दिनांक: 31 जनवरी, 2020

सेवा में,

सतीश कुमार  
पुत्र श्री रामस्वरूप  
ग्राम सफीपुर, पोस्ट बादशाहीबाग  
थाना मिर्जापुर पोल तहशील बेहट  
जिला सहारनपुर, उत्तरप्रदेश -247121

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना।

संदर्भ: आपका आरटीआई पत्र दिनांक 16.12.2019


महोदय,

संदर्भित RTI का अवलोकन करने की कृपा करें जो कि इस संस्थान को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने के लिए प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा मांगी गई सूचनाओं का बिन्दुवार उत्तर संस्थान के सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ है जो कि 98 पृष्ठों में इस पत्र के साथ संलग्न है।

अगर आप उक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत अधोलिखित अपीलीय प्राधिकारी को एक माह के भीतर - निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी, देहरादून - 248001, दूरभाष न० 0135-2640910, 2646102 को अपील कर सकते हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,

  
(डा० अंजू बारोठ)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न - 98 पृष्ठ

सं०: ए / 2-31 / 2005 – भा0व0सं0 (Vol IV)

दिनांक : 15 जनवरी, 2020

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: लोकसूचना अधिकारी के दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 के पत्रांक के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सन्दर्भ में श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप ग्राम शफीपुर, बादशाहीबाग, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा मांगी गयी सूचना निम्न प्रकार है:-

प्रश्न	उत्तर
(1) भारतीय वन्यजीव संस्थान में अस्थाई तौर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धि का आधार क्या है तथा किस पद के लिए क्या वेतन निर्धारित है नाम, पद व वेतन एवं कार्य आदि का प्रमाण सहित साक्ष्य का कष्ट करें।	(1) भारतीय वन्यजीव संस्थान में अस्थाई तौर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन का निर्धारण एवं वेतन वृद्धि Government of India (Grant of Temporary Status & Regularization) Scheme, 1993 के अन्तर्गत लागू संशोधित नियमों के अनुसार निर्धारित होती है। सूचना अनुलग्नक-1 में संलग्न है। एवं उनके नाम, पद व वेतन का विवरण अनुलग्नक-2 में संलग्न है। तथा ये सभी अस्थाई कर्मचारी संस्थान की पौधशाला में कार्यरत हैं।
(2) क्या भारतीय वन्यजीव संस्थान कार्यरत व्यक्तियों के वेतन का निर्धारण उनकी शैक्षिक योग्यता एवं कार्य को मध्यनजर रखते हुए किया गया है प्रमाण सहित बताने का कष्ट करें।	(2) संस्थान में कार्यरत व्यक्तियों के वेतन का निर्धारण एवं शैक्षिक योग्यता समय-समय पर लागू एवं संशोधित भर्ती नियमों के आधार पर आधारित हैं। भर्ती नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है, जो निम्न है:- i) तृतीय एवं सहयोगी कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति निर्धारण नियमावली - 2019 (अनुलग्नक -3) ii) प्रशासनिक एवं वित्तीय पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली - 2019 (अनुलग्नक -4)
(3) उपरोक्त प्रश्नों में सन्दर्भित व्यक्तियों की नियुक्ति का आधार क्या है प्रमाण सहित बताने का कष्ट करें।	(3) उपरोक्त प्रश्नों में सन्दर्भित व्यक्तियों की नियुक्ति का आधार संस्थान में समय समय पर उपलब्ध, रिक्त एवं सृजित पद व संस्थान में लागू एवं संशोधित भर्ती नियम हैं। सम्बन्धित भर्ती नियमों की प्रतिलिपि बिन्दु सं० 2 पर वर्णित (अनुलग्नक -3, 4) पर उपलब्ध है।
(4) 1 जनवरी, 2000 से 30 नवम्बर, 2019 तक भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा ग्रुप सी में कितने एवं किन-किन व्यक्तियों को नियमित किया गया है। उनकी शैक्षिक योग्यता, नाम, पद, वेतन, स्लेब, एवं कार्य प्रमाण सहित देने का कष्ट करें।	(4) वांछित सूचना (अनुलग्नक - 5) पर उपलब्ध है।

INFORMATION PROVIDED  
UNDER RTI

ATTESTED

CPD, Wild Life Institute of India, Dehradun

6/4



प्रश्न	उत्तर
(5) 1 जनवरी, 2000 से 30 नवम्बर, 2019 तक भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा ग्रुप डी में कितने एवं किन-किन (अस्थाई कर्मचारियों) व्यक्तियों को नियमित किया गया है। उनके नाम, पद व शैक्षिक योग्यता, वेतन, ग्रेड एवं कार्य प्रमाण सहित देने का कष्ट करें।	(5) 01 जनवरी, 2000 से 30 नवम्बर 2019 तक भारतीय वन्यजीव संस्थान में ग्रुप डी में किसी भी अस्थाई कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है।

ATTESTED  
CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

— श्री वि. ए. सिंह  
(एस एन बहुगुणा)  
प्रोसाहो  
प्रो. ए. ए. सिंह  
(पी०के० अग्रवाल)  
उप कुलसचिव

— एम० डी० गुप्ता  
(एम० डी० गुप्ता)  
अनुभाग अधिकारी

INFORMATION PROVIDED  
UNDER RTI

(131)

## APPENDIX

**Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Deptt. of Personnel and Training, Casual Labourers (Grant of Temporary Status and Regularisation) Scheme**

1. This scheme shall be called "Casual Labourers (Grant of Temporary Status and Regularisation) Scheme of Government of India, 1993."

2. This Scheme will come into force w. e. f. 1.9.1993.

3. This scheme is applicable to casual labourers in employment of the Ministries/Departments of Government of India and their attached and subordinate offices, on the date of issue of these orders. But it shall not be applicable to casual workers in Railways, Department of Telecommunication and Department of Posts who already have their own schemes.

**4. Temporary Status**

(i) Temporary status would be conferred on all casual labourers who are in employment on the date of issue of this OM and who have rendered a continuous service of at least one year, which means that they must have been engaged for a period of at least 240 days (206 days in the case of offices observing 5 days week).

(ii) Such conferment of temporary status would be without reference to the creation/availability of regular Group 'D' posts.

(iii) Conferment of temporary status on a casual labourer would not involve any change in his duties and responsibilities. The engagement will be on daily rates of pay on need basis. He may be deployed anywhere within the recruitment unit/territorial circle on the basis of availability of work.

(iv) Such casual labourers who acquire temporary status will not, however, be brought on to the permanent establishment unless they are selected through regular selection process for Group 'D' posts.

5. Temporary status would entitle the casual labourers to the following benefits:-

(i) Wages at daily rates with reference to the minimum of the pay scale for a corresponding regular Group 'D' official including DA, HRA and CCA

(ii) Benefits of increments at the same rate as applicable to a Group 'D' employee would be taken into account for calculating pro-rata wages for every one year of service subject to performance of duty for at least 240 days, 206 days in administrative offices observing 5 days week) in the year from the date of conferment of temporary status.



(iii) Leave entitlement will be on a pro-rata basis at the rate of one day for every 10 days of work, casual or any other kind of leave, except maternity leave, will not be admissible. They will also be allowed to carry forward the leave at their credit on their regularisation. They will not be entitled to the benefits of encashment of leave on termination of service for any reason or on their quitting service.

(iv) Maternity leave to lady casual labourers as admissible to regular Group 'D' employees will be allowed.

(v) 50% of the service rendered under temporary status would be counted for the purpose of retirement benefits after their regularisation.

(vi) After rendering three years' continuous service after conferment of temporary status, the casual labourers would be treated on par with temporary Group 'D' employees for the purpose of contribution to the General Provident Fund, and would also further be eligible for the grant of Festival Advance/Flood Advance on the same conditions as are applicable to temporary Group 'D' employees, provided they furnish two sureties from permanent Government servants of their Department.

(vii) Until they are regularized, they would be entitled to Productivity Linked Bonus/ Ad-hoc bonus only at the rates as applicable to casual labourers.

6. No benefits other than those specified above will be admissible to casual labourers with temporary status. However, if any additional benefits are admissible to casual workers working in Industrial establishments in view of provisions of Industrial Disputes Act, they shall continue to be admissible to such casual labourers.

7. Despite conferment of temporary status, the services of a casual labourer may be dispensed with by giving a notice of one month in writing. A casual labourer with temporary status can also quit service by giving a written notice of one month. The wages for the notice period will be payable only for the days on which such casual worker is engaged on work.

#### 8. Procedure for filling up of Group 'D' posts

(i) Two out of every three vacancies in Group 'D' cadres in respective offices where the casual labourers have been working would be filled up as per extant recruitment rules and in accordance with the instructions issued by Department of Personnel and Training from amongst casual workers with temporary status. However, regular Group 'D' staff rendered surplus for any reason will have prior claim for absorption against existing/future vacancies. In case of illiterate casual labourers or those who fail to fulfill the minimum qualification prescribed for post, regularisation will be considered only against those posts in respect of which literacy or lack of minimum qualification will not be a requisite qualification. They would be allowed age relaxation equivalent to the period for which they have worked continuously as casual labourer.

9. On regularisation of casual worker with temporary status, no substitute in his place will be appointed as he was not holding any post. Violation of this should be viewed very seriously and attention of the appropriate authorities should be drawn to such cases for suitable disciplinary action against the officers violating these instructions.

10. In future, the guidelines as contained in this Department's OM dated 7.6.88 should be followed strictly in the matter of engagement of casual employees in Central Government offices.

11. Department of Personnel and Training will have the power to make amendments or relax any of the provisions in the scheme that may be considered necessary from time to time.



## संस्थान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों अस्थायी स्टेटस की सूची

128

क्रम सं०	नाम	पद	कुल वेतन रु०	टिप्पणी
1.	श्री बाबा दीन	दैनिक वेतन भोगी श्रमिक अस्थाई स्टेटस	39346	
2.	श्री प्रोमा बोरो	दैनिक वेतन भोगी श्रमिक अस्थाई स्टेटस	39346	
3.	श्री प्रकाश बरदेवा	दैनिक वेतन भोगी श्रमिक अस्थाई स्टेटस	39346	
4.	श्री किशन सिंह	दैनिक वेतन भोगी श्रमिक अस्थाई स्टेटस	39346	
5.	श्री ललित सिंह	दैनिक वेतन भोगी श्रमिक अस्थाई स्टेटस	39346	
6.	श्री सुधीर कुमार कुकरेती	दैनिक वेतन भोगी श्रमिक अस्थाई स्टेटस	39346	
7.	श्री चित्रपाल	दैनिक वेतन भोगी श्रमिक अस्थाई स्टेटस	39346	

INFORMATION PROVIDED  
UNDER RTI

01 जनवरी, 2000 से 30 नवम्बर, 2019 तक भारतीय वन्यजीव संस्थान में ग्रुप "सी" में नियमित किये गये व्यक्तियों की सूची

क्रम सं०	नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	स्लेब	वेतन रु०	कार्य
1.	श्री मुक्ति प्रसाद शर्मा	मल्टी-टार्किंग स्टाफ	नौन मैट्रिक	पे मैट्रिक्स लेवल 1	28,000	संस्थान के विभिन्न अनुभागों अभिलेखों का रखरखाव। संस्थान में नियुक्त किये गये अनुभाग का सामान्य सफाई और रखरखाव। बिल्डिंग के भीतर फाइलों अन्य कागजों को ले लाना। संस्थान कार्यालय के काम जैसे डायरी डिस्पैच फोटोकॉपी करना आदि में सहायता करना।
2.	श्री जितेन्द्र सिंह रावत	मल्टी-टार्किंग स्टाफ	नौन मैट्रिक	पे मैट्रिक्स लेवल 1	28,000	
3.	श्री हीरा लाल शर्मा	मल्टी-टार्किंग स्टाफ	नौन मैट्रिक	पे मैट्रिक्स लेवल 1	28,000	
4.	श्री ओम प्रकाश पुन	मल्टी-टार्किंग स्टाफ	नौन मैट्रिक	पे मैट्रिक्स लेवल 1	28,000	
5.	श्री ईश्वर बहादुर राना	मल्टी-टार्किंग स्टाफ	नौन मैट्रिक	पे मैट्रिक्स लेवल 1	28,000	
6.	श्री निरंजन प्रसाद	मल्टी-टार्किंग स्टाफ	इंटरमिडिएट	पे मैट्रिक्स लेवल 1	28,000	
7.	श्री सुनिल सुन्दियाल	मल्टी-टार्किंग स्टाफ	स्नातक	पे मैट्रिक्स लेवल 1	28,000	
8.	श्री बासुदेव	मल्टी-टार्किंग स्टाफ	इंटरमिडिएट	पे मैट्रिक्स लेवल 1	28,000	
9.	श्री राम सुन्दर यादव	मल्टी-टार्किंग स्टाफ	इंटरमिडिएट	पे मैट्रिक्स लेवल 1	28,000	
10.	श्री राम सिंह गुप्ता	मल्टी-टार्किंग स्टाफ	नौन मैट्रिक	पे मैट्रिक्स लेवल 1	28,000	

INFORMATION PROVIDED UNDER RTI



No. WII/RTI/CPIO/2019-20 (Qtr-IV)

दिनांक: 17 जनवरी, 2020

सेवा में,

सतीश कुमार  
पुत्र श्री रामस्वरूप  
ग्राम सफीपुर, पोस्ट बादशाहीबाग  
थाना मिर्जापुर पोल तहशील बेहट  
जिला सहारनपुर, उत्तरप्रदेश -247121

02  
31/1/20

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना।

संदर्भ: आपका आरटीआई पत्र दिनांक 16.12.2019

महोदय,

संदर्भित RTI का अवलोकन करने की कृपा करें जो कि इस संस्थान को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने के लिए दिनांक 19.12.2019 को प्राप्त हुई है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा मांगी गई सूचनाओं का उत्तर संस्थान के सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त हो गया है जो कि 97 पृष्ठों में समाहित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की यू/एस 7 (3) के अंतर्गत सूचना के लिए डॉक्यूमेंट और उसकी फोटोकॉपी प्रदान करने की लागत रु 196/- [98 पृष्ठ @ 2 / पृष्ठ] है।

अतः आपसे अनुरोध है कि रु 196/- का अतिरिक्त शुल्क संस्थान के Director, Wildlife Institute of India, Dehradun के नाम से देय, Demand Draft/ Bank Cheque/ IPC के माध्यम से इस उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर शुल्क जमा करे ताकि आपकी आरटीआई का निपटारा समय में हो सके।

धन्यवाद,

Dr. Anju Baroth, CPIO (RTI)

Monji/ls send.  
the info to me  
applicant by speed post  
AB 31/1/2020

भवदीय,

अंजू बारोठ  
(डा० अंजू बारोठ)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

पत्रपेटी सं० 18, चन्द्रबनी, देहरादून - 248 001, उत्तराखण्ड, भारत  
Post Box No. 18, Chandrabani, Dehradun - 248 001, Uttarakhand, INDIA  
ई.पी.ए.बी.एक्स : +91-135-2640114, 2640115, 2646100 फ़ैक्स : 0135-2640117  
EPABX : +91-135-2640114, 2640115, 2646100 Fax : 0135-2640117  
ई-मेल/E-mail : wii@wii.gov.in वेब/Website : www.wii.gov.in